BSES

बिजली उपकरणों से दूर उड़ाएं पतंग
मांझे से लग सकता है करंट

मैटलिक मांझे व पतंगबाजी से जुड़े खतरों पर बीएसईएस ने जारी की शॉर्ट फिल्म

नई दिल्लीः 7 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस पर पतंगबाजी के शौकीनों से बीएसईएस ने अपील की है कि वे बिजली के पोल्स, तारों, ट्रांसफॉर्मरों और अन्य उपकरणों के आसपास पतंग न पड़ाएं। उपभोक्ताओं से यह भी अपील की गई है कि वे पतंग उड़ाने के लिए मेटल–युक्त मांझे का प्रयोग न करें। मेटैलिक मांझा न सिर्फ इलाके की बिजली गुल कर सकता है, बल्कि इससे पतंग उड़ाने वालों की जान को भी खतरा हो सकता है। याद रखें, मेटल–कोटेड मांझा जब बिजली की तारों व अन्य उपकरणों के संपर्क में आता है, तो बिजली का करंट मैटेलिक मांझे से प्रवाहित होकर पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति के शरीर तक पहुंच सकता है।

उपभोक्ताओं, खासकर बच्चों से यह भी अपील की गई है कि वे कटी हुई पतंग लेने के लिए बिजली उपकरणों के पास या प्रतिबंधित इलाकों में न जाएं। यह उनकी जान को जोखिम में डाल सकता है।

मेटलयुक्त मांझे और पतंगबाजी से जुड़े खतरों के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए बीएसईएस ने एक बड़ा अभियान चलाया है। इसके तहत, उपभोक्ताओं व बच्चों को तीन मिनट की एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जा रही है, जिसमें यह बताया गया है कि पतंगबाजी के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके अलावा, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े पैमाने पर होने वाली पतंगबाजी के कारण हजारों घरों की बिजली गुल हो सकती है। अगर 66/33 केवी की सिर्फ लाइन ट्रिप हो जाए, तो इससे 10 हजार से अधिक लोगों के घरों में अंधेरा छा सकता है। यदि 11 केवी की एक लाइन ट्रिप होती है, तो लगभग 2500 से अधिक लोगों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, लोग पतंगबाजी का आनंद लें, लेकिल जिम्मेदारी के साथ। हम लोगों को सलाह देते हैं कि बिजली आपूर्ति से जुड़े उपकरणों के पास पतंग न उड़ाएं और पतंग उड़ाने के लिए मेटल या मेटल कोटेड मांझे का उपयोग हरगिज न करें। ये कुछ छोटे उपाय स्वतंत्रता दिवस के जश्न को सुरक्षित बना सकते हैं।

यहां यह बताना जरूरी होगा कि बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाना और बिजली के उपकरणों को क्षतिग्रस्त करना कानूनन जुर्म है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट और दिल्ली पुलिस ऐक्ट के तहत सजा का प्रावधान है।

हालांकि, पतंगबाजी की वजह से होने वाली ट्रिपिंग्स के मद्देनजर बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने अपनी ओएंड टीमों को हाईअलर्ट पर रहने को कहा है। टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं पतंगबाजी की वजह से ट्रिपिंग होती है, तो घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर, इलाके में जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल की जाए।

किसी भी आपात स्थिति में उपभोक्ता बीएसईएस के आपातकालीन नंबरों 18001039707– बीआरपीएल और 41999808– बीवाईपीएल पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।

प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।